

**बिहार कर्मचारी चयन आयोग**

**पो0-वेतनरी कॉलेज, पटना-14**

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक (इन्टरमीडिएट प्रशिक्षित) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन:-

विज्ञापन संख्या- 16010116

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि-27.09.2016 तथा ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि-24.10.2016

ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि-27.09.2016 तथा ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि-28.10.2016

बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक (इन्टरमीडिएट प्रशिक्षित)के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं ।

**वेतनमान:-9300-34800/-ग्रेड-पे-4200/-**

**रिक्तियों की संख्या:- 272 (दो सौ बहत्तर)**

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग की महिला	सामान्य
11	00	67	21	11	162

**न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-**

किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 55% (पचपन प्रतिशत) अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ।

**आवश्यक तकनीकी योग्यता:-** राष्ट्रीय अध्यापक परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्षीय शिक्षण-प्रशिक्षण में डिप्लोमा अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री ।

**परीक्षा:-**

**लिखित परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे ।**

**(क) प्रश्न पत्र-1-विषय-हिन्दी :-**

(i) इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे ।

(ii) हिन्दी विषय में अर्हतांक 30 प्रतिशत है जो अनिवार्य है, किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी । जो उम्मीदवार इस विषय में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करेंगे, उनके दूसरे पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा वे परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जायेंगे ।

(iii) प्रश्न पत्र-1 की परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी होगा ।

(iv) इस विषय में कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी । प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 04 (चार) अंक दिया जायेगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 01 (एक) अंक की कटौती की जायेगी ।

(v) परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी ।

**(ख) प्रश्न पत्र-2-विषय-सामान्य ज्ञान:-**

(i) इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे ।

(ii) प्रश्न पत्र-2 सामान्य ज्ञान में विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत् होगी:-

(क) सामान्य अध्ययन-प्रश्नों की संख्या-50 होगी ।

(ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित-प्रश्नों की संख्या-50 होगी ।

(ग) मानसिक क्षमता जाँच (Comprehension/Logic/Reasoning/mental Ability) प्रश्नों की संख्या-50

होगी ।

प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जायेगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जायेगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा। अगर हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे।

**सिलेबस:- परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से है:-**

**खंड (क):- सामान्य अध्ययन-** इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(i) सम-सामयिक विषय:- वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं इत्यादी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(ii) भारत और उसके पड़ोसी देश:- पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आन्दोलन में बिहार का योगदान से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

**खंड (ख):- सामान्य विज्ञान एवं गणित-** इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(i) सामान्य विज्ञान- भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल।

(ii) गणित- संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि।

**खंड (ग):- मानसिक क्षमता जाँच-** इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं- सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या।

उक्त विज्ञापन के विरुद्ध 40 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा अयोजित की जायेगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध (अधियाचित) रिक्तियों के लगभग 05 गुणा संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जायेगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा। प्रारंभिक परीक्षा लेने की स्थिति में उपर्युक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र-2, विषय-सामान्य ज्ञान की परीक्षा ही आयोजित की जायेगी। मुख्य परीक्षा में उपर्युक्त परीक्षा के दोनों पत्रों की परीक्षा आयोजित की जायेगी।

**उम्र सीमा-**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प संख्या-294, दिनांक-07.01.2016 के अनुसार उम्र सीमा की गणना दिनांक-01.08.2014 के आधार पर की जायेगी।

**न्यूनतम आयु-18 (अठारह) वर्ष।**

**अधिकतम आयु-**(1) अनारक्षित-(पुरुष)-37 वर्ष। (2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)-40 वर्ष।

(3) अनारक्षित (महिला)-40 वर्ष। (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)- 42 वर्ष।

(2) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों को जो 03 (तीन) वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है। साथ ही, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-62, दिनांक-05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य है।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2447, दिनांक-06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिक को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 (तिरपन) वर्ष से अधिक नहीं हो।

**आरक्षण:-**

- (i) ऑनलाईन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखा जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70, दिनांक-11.06.1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 (मूल) के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूलवासी को ही देय है।
- (ii) पिछड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र जिसमें क्रीमिलेयर में नहीं होने का उल्लेख हो, मान्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा। ऑनलाईन आवेदन के समय यह प्रमाण-पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु काउन्सिलिंग के समय पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे तथा उन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अभ्यर्थी आवेदन-पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे जिस आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत आते हों उसी आरक्षण श्रेणी का दावा करेंगे। ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि के आरक्षण का लाभ लेना है, उन्हें काउन्सिलिंग के समय विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के एक वर्ष के अन्दर का निर्गत क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।
- (iv) परीक्षा के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे, वही मान्य होगा। यदि आरक्षण श्रेणी में परीक्षा प्रक्रिया की अवधि में कोई परिवर्तन होता है तो वह मान्य नहीं होगा।
- (v) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प संख्या-62, दिनांक-05.01.2007 के प्रावधान के आलोक में विकलांगों को 3 प्रतिशत (1% दृष्टि निःशक्तता, 1% मूकबधिर निःशक्तता तथा 1% चलन निःशक्तता) आरक्षण देय है। यदि किसी रिक्ति के किसी उपर्युक्त निःशक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किन्हीं अन्य पर्याप्त कारण से भरा नहीं जायेगा तो ऐसी रिक्ति नियमानुसार अगले वर्ष में अग्रणित की जायेगी।
- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-11/आ0नी0-1-10/2015 सा0प्र0-13185 पटना-15, दिनांक-03.09.2015 के अनुसार बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत शैतिज आरक्षण प्रदान किया जाना है, अर्थात् चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या-2342, दिनांक-15.02.2016 के अनुसार बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत शैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा। 50 प्रतिशत मेरिट तथा 50 प्रतिशत आरक्षित वर्ग के आधार पर नियमानुसार चयन सूची तैयार करने के उपरांत महिलाओं की संख्या स्वतः 35 प्रतिशत से अधिक हो जाने की स्थिति में इसे यथावत् रखा जायेगा।

**परीक्षा शुल्क:-**

- (क) सामान्य /पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी-750 रूपये।
- (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए) -200 रूपये।
- (ग) बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु -750 रूपये।
- (घ) सभी श्रेणी के दिव्यांगों को (अनु0 जाति/ जनजाति के समान)- 200 रूपये।



परीक्षा शुल्क जमा करते समय परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क (Processing Charge) एवं सेवा कर (Service Tax) अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होगा। यथा ऑनलाइन (Credit Card / Debit Card / Netbanking) माध्यम से रूपये 750 की परीक्षा शुल्क पर रूपये 25.88 अतिरिक्त प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर सहित अभ्यर्थी द्वारा कुल 775.88 रूपये देय होगा। उसी प्रकार ऑनलाइन (Credit Card / Debit Card / Netbanking) माध्यम से रूपये 200 की परीक्षा शुल्क पर रूपये 06.90 अतिरिक्त प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर सहित अभ्यर्थी द्वारा कुल 206.90 रूपये देय होगा। एस0 बी0 आई बैंक चालान के माध्यम से रूपये 750 की परीक्षा शुल्क पर रूपये 50 अतिरिक्त प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर सहित अभ्यर्थी द्वारा कुल 800.00 रूपये देय होगा। बैंक चालान के माध्यम से रूपये 200 की परीक्षा शुल्क पर रूपये 50 अतिरिक्त प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर सहित अभ्यर्थी द्वारा कुल 250.00 रूपये देय होगा।

अभ्यर्थी ऑनलाइन (Online) रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेन्ट गेटवे (Online Payment Gateway) के माध्यम से दिनांक-27.09.2016 से 28.10.2016 तक अथवा SBI के चालान के माध्यम से दिनांक- 29.09.2016 से 26.10.2016 तक की निर्धारित अवधि में समर्पित करेंगे। अन्य किसी माध्यम से भेजा गया शुल्क मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क अदा करने से संबंधित प्रमाण पत्र(पावती रसीद) अपने पास सुरक्षित रखेंगे एवं आयोग द्वारा माँगे जाने पर समर्पित करेंगे।

परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किये जायेंगे, साथ ही साथ अहस्तांतरणीय होंगे।

**न्यूनतम अर्हतांक :-** लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना सामान्य प्रशासन विभाग) का संकल्प ज्ञापांक-2374 दिनांक- 16.07.2007 प्रभावी माना जाएगा, जो निम्नवत् है:-

सामान्य वर्ग	-	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	-	36.5 प्रतिशत
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	-	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जन-जाति एवं महिला वर्ग	-	32 प्रतिशत

**अन्य:-**

(i) जैसे उम्मीदवार ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिन्हें एतदर्थ आयोग द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किया जायेगा। प्रवेश-पत्र निर्गत होने मात्र से अर्हता की सम्पुष्टि नहीं मानी जायेगी। किसी उम्मीदवार के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता/ अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(ii) जैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/ किसी राज्य लोक सेवा आयोग/ अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो।

(iii) किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।

(iv) अभ्यर्थी आवेदन-पत्र को Submit करने के पूर्व Preview देखकर संतुष्ट हो लेंगे, एवं यदि कोई सुधार आवश्यक हो, तो Edit option में आवश्यक सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन-पत्र को Submit करेंगे।

**अंतिम तिथि:-**

ऑनलाइन आवेदन दिनांक- 27.09.2016 से 28.10.2016 की रात्रि 12 बजे (Server Time) तक आयोग के वेबसाईट <http://bssc.bih.nic.in> पर भरा जा सकता है।

सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।